

कार्यालय नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक/1517/ लो.नि./2026

नरसिंहगढ़ दिनांक 11.05.2026

(ऑनलाईन निविदा)

नगरीय प्रशासन के प्रचलित एस.ओ.आर. से प्रभावशाली दर पर निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा विभागीय वेबसाइट <https://mpetenders.gov.in> पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र दिनांक 11.05.2026 को 10:00 AM से दिनांक 25.05.2026 को 05:30 PM तक क्रय किये जा सकते है। निविदा संशोधित होने की स्थिति में कोई भी सूचना ऑनलाईन वेबसाइट पर कोरिजेन्डम के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। निविदा से जुडी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन देखी जा सकती है।

क्र.	ऑनलाईन निविदा	कार्य का नाम/विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा पत्रक शुल्क	ठेकेदार सप्लायर्स की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की समयवधि	अन्य विवरण
1	2026_UAD_506309_1	वार्ड क्रमांक 02 में घाटी वाले बाबा से राधाकृष्ण मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	354847.00	3500.00	2500.00	केन्द्रीकृत प्रणाली MPPWD में पंजीकृत	कायदेश से 02 माह	प्रतिशत

टीप :- निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निकाय की लोक निर्माण शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

KEY DATES

No.	Work Departmen Stage/ Bidder's Stage	Start		End		Envelops
		Date	Time	Date	Time	
1	2	3	4	5	6	7
1	Purchase of Tender Online	11.05.2026	10:00 AM	25.05.2026	05:30 PM	-
2	Bid Submisson	11.05.2026	10:00 AM	25.05.2026	05:30 PM	-
3	Mandatory Submission Open	26.05.2026	05:35 PM	-	-	-
4	Prebid meeting Date and Time	Not required				
5	Physical Submission of Municipal Office End date	Only online Submission				

शर्त :-

- निविदा दर स्वीकृति का संपूर्ण अधिकार नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ को होंगे।
- नो रिलेशन प्रमाण पत्र।
- अमानत राशि का भुगतान डेविड कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/ऑनलाईन के माध्यम से ही मान्य होगी।
- म.प्र. नगर पालिका वित्त एवं लेखा नियम (नवीनतम) अनुसार जारी निर्देश निविदाकार के लिये बंधनकारी रहेंगे।
- प्रत्येक रनिंग बिल से नियमानुसार एस.डी. का कटोत्रा किया जावेगा।
- GST का भुगतान शासन के नियमानुसार देय होगा।
- अनुबंध संपादित होने के 07 दिवस में निर्माण कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
- निविदा शर्तों में किसी भी प्रकार संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन के अधिकार नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ को होंगे। निविदा से संबंधित किसी प्रकार का संशोधन संबंधी सूचना विभाग की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जावेगी। समाचार पत्रों में पृथक से सूचना प्रकाशित नहीं की जावेगी।
- उक्त कार्य के लिये संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा समय समय पर जारी निर्देश निविदाकार के लिये बंधनकारी रहेंगे।